प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 में नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 के लिए छः वाहन किराए पर लिए जाने की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 537/ ना0उ0नि0/ऑप्स-59/2021, दिनांक 08 फरवरी, 2021 में किए गए प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के उपयोगार्थ निजी ट्रेवल एजेन्सियों से किराए पर वाहन लिए जाने विषयक राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-एम-226/32-3-2021-7(32)/2001टीसी-I, दिनांक 18 फरवरी, 2021 (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा जेम पोर्टल से प्राप्त समस्त शर्तों / SLA के माध्यम से अधिकतम 06 वाहन किराए लिए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:

(क) अपरिहार्य/ न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर किराए पर लिए जाने वाले वाहनों की संख्या (अधिकतम 06) अवधारित की जाएगी।

(ख) किराए पर लिए जाने वाले वाहनों का संचालन अपरिहार्य / न्यूनतम व्यय के आधार पर किया जाएगा।

(ग) निजी फर्मों का आबद्धीकरण राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 के सम्बन्धित शासनादेश में इंगित फर्मों के माध्यम से शासनादेश में इंगित वैधता अवधि में किया जाएगा।

(घ) नागरिक उड्डयन विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 के सम्बन्धित शासनादेश से इतर जेम पोर्टल की शर्तों / SLA (सर्विस लेवल अग्रीमेंट) के अनुसार भी वाहनों का आबद्धीकरण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(ड) यदि राज्य सम्पत्ति विभाग के शासनादेश के अधीन वाहन सम्बद्ध किए गए हों तो किसी फर्म की वैध सूची से बाहर होने की दशा में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उस फर्म का सम्बद्धीकरण समाप्त कर दिया जाए।

(च) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा फरवरी माह के प्रारम्भ में अगले वित्तीय वर्ष के लिए वाहनों की आवश्यकतानुसार शासन की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु आबद्ध की गई फर्म से न्यूनतम किराए और अपरिहार्य आवश्यकता के आधार पर ही वाहन किराए पर लिए जाएंगे और फर्म को भुगतान सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

3- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन सुसंगत राजस्व लेखाशीर्षक "2070- अन्य प्रशासकीय सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03 नागरिक उड्डयन निदेशालय के मानक मद-42- अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

पृ0सं0: 59/2021/885 (1) छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- उप महालेखाकार ई०एस0 111, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

5- सचिव, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- गार्ड फाइल |

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।